>

Title: Need to provide old age pension and widow pension to all eligible persons.

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे साथी लाल सिंह जी ने उस बात का थोड़ा सा जिक्र किया है। देश के लाखों बेसहारा लोगों की ओर जिन्हें अपनी जीविका के लिए सहारे की जरूरत है, किन्तु नियमों के जाल में फंस कर वे तक़लीफ भरी ज़िन्दगी जीने को मजबूर हैं। मैं उनकी ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन योजना में जो सहायता राशि राज्य सरकारों के माध्यम से दी जा रही है, उन सभी योजनाओं में जिन हितग्राहियों का चयन किया जाता है, उसके तहत उनका नाम बीपीएल की सूची में होना अनिवार्य किया गया है। इससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग देश भर में वंचित हैं। मेरी मांग है कि ऐसी योजनाओं में बीपीएल की सूची में नाम की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। आज यह देखने में मिलता है कि कई ऐसे वृद्धजन एवं विधवा माताएं हैं जिनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, ऐसे सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ देना आवश्यक है। इसलिए केन्द्र सरकार को तत्काल इस पर कारगर निर्णय लेना चाहिए। दूसरी ओर, जो पेंशन दी जाती है, वह इतना कम है कि आज के समय में उनका जीना मुश्किल है। जो लाल सिंह जी ने कहा कि कम से कम दो हजार रुपए होना चाहिए, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और मांग भी करता हूं।

सभापति महोदय:

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, एवं

श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।